


खतरनाक है राशन के बदले नकद राशि का मंत्र

नये दौर में सरकार ने यह नीति अपना रही है कि सरकार लोगों को सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती, राशन, आदि) के बदले उनके हिस्से की सब्सिडी नकद के रूप में दे दे और लोग खुले बाजार से सेवाएं खरीदें. सेवा के बदले नकद देने की नीति लागू करने पर भारत सरकार अब बहुत तत्पर है. दिल्ली की बस्तियों में एनएफआईडब्लू और रोजी रोटी अधिकार अभियान द्वारा किये गये एक सर्वे में 4005 में से गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाली केवल 201 महिलाओं ने राशन के बदले नकद को प्राथमिकता दी. 91 फीसदी लोग राशन ही चाहते हैं. मध्यप्रदेश के सतना जिले के मडुलिहाई गांव के सत्तर वर्षीय पुसवा मवासी के पास गरीबी की रेखा का राशन कार्ड है. परन्तु उन्हें कभी 20 किलो राशन से ज्यादा नहीं मिलता है, ज्यादातर उसकी गुणवत्ता खराब होती है, कई मर्तबा वे राशन लेने जाते हैं परन्तु राशन की दुकान बंद मिलती है. यहीं की सुकविरया बाई की भी यही कहानी है. पेश है सामाजिक कार्यकर्ता एवं विचारक **सचिन कुमार जैन** का यह आलेख:

अब यह मान लिया गया है कि सरकारी तंत्र इतना निकम्मा, गैर-जिम्मेदार, भ्रष्ट और अव्यवस्थित है कि देश के नागरिकों को बुनियादी सेवाएं देने में सरकार अक्षम ही साबित हुई है. इसलिये बेहतर है कि लोगों को उनकी पात्रता की शर्त के मुताबिक रियायत की नकद राशि देने की परंपरा अपना ली जाय. राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम का सीधे संचालन करने का मतलब संसाधनों की बर्बादी है. वर्ष 2010-11 के वित्तीय वर्ष में केन्द्र और राज्य सरकारों ने सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा आदि) पर 3.69 लाख करोड़ रुपये खर्च किये और वर्ष 2011-12 में 1.62 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 हजार करोड़ रुपये कम की गई है. इस पूरे दौर में सरकार ने यह नीति अपनाई है कि सरकार द्वारा संचालित व्यवस्थाओं (स्कूल, अस्पताल, छात्रावास आदि) का निजीकरण किया जाये और ठेकेदारों को ये सभी चलाने का अधिकार दिया जाय. ये निजी कम्पनियां और ठेकेदारों लोगों को सेवाएं दें, जिसकी कीमत (जो अक्सर बहुत भारी-भरकम होती है) सरकार सीधे उन्हें चुकायेगी. इस तरह से प्रयोग पिछले दस वर्षों में स्वास्थ्य और बीमा के क्षेत्र में होते रहे हैं, जिनसे यह सीख मिली है कि निजी स्वास्थ्य-बीमा संस्थान लोगों को सेवा देने के लिये संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है और चूँकि उनका लक्ष्य केवल लाभ अर्जित करना है इसलिए वे ऊँची कीमत वसूल करते हैं - इलाज हो चाहे न हो. सरकारी बीमा संस्थान सेवा देने में देरी जरूर करते हैं परन्तु सेवा मिल ही जाती है, निजी कम्पनियां तो सेवा में अलग-अलग मानक बनाकर खूब कटौती करती हैं. कुल मिलाकर उनकी कोई वैधानिक जवाबदेही ही नहीं सकती है. ठेकेदारी की इस प्रथा का विस्तार है नकद हस्तांतरण.

इस परिदृश्य में भारत का योजना आयोग कहता है कि सामाजिक क्षेत्र में सरकार का सीधे क्रियान्वयन आधारित दखल नहीं होना चाहिए. हमें निजी क्षेत्र को पनपने का अवसर देने के लिये राशन की दुकान, अस्पताल या कल्याणकारी योजनाओं को या तो बंद कर देना होगा या सेवा के बदले नकद देने की नीति अपनानी होगी. इस साल जब वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बजट भाषण पढ़ा तो उन्होंने कहा कि अब सरकार केरोसिन और खाद पर सब्सिडी नकद राशि में बदलकर सीधे हितग्राहियों के खाते में जमा करेगी. इस



सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था कि जब सरकार का खाद और केरोसिन पर नियंत्रण खत्म हो जायेगा तब इसकी कीमतें बढ़ेंगी, तब सरकार द्वारा नकद रूप में दी जाने वाली रियायत तो अपर्याप्त हो जायेगी तब लोगों को कौन संरक्षण देगा? वे बस यही कहते रहे कि चूँकि कार्यक्रमों के जरिये सब्सिडी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इसलिए सही यही है कि उन्हें नकद राशि दे दी जाय. उन्हें स्वतंत्रता मिले कि उन्हें बाजार से मनचाही वस्तु और सेवा लेने का विकल्प मिले. तब आशंका थी कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भी यही नीति लायेगी, जहां राशन के बदले राशि के हस्तांतरण की तकनीक लागू की जायेगी. यह आशंका अब हकीकत में बदल रही है. भारत सरकार के कैबिनेट समूह ने प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के जिस प्रारूप को मंजूरी दी है उसमें यह उल्लेख है कि धीरे-धीरे राशन के बदले नकद राशि का हस्तांतरण किया जायेगा. भारत में एक रुपये के विकास को पहुंचाने के लिए 3.65 रुपये खर्च किये जाते हैं, एक गांव में लगभग 150 सरकारी कार्यक्रम संचालित होते हैं, जितनी रियायत गरीब परिवारों पर खर्च की जा रही है यदि उसे नकद में बदल दिया जाये तो हर परिवार को 2140 रुपये प्रतिमाह की राशि मिल जायेगी यानी वह गरीबी की रेखा के बाहर आ जायेगा. पर क्या वह इस राशि में

नांदी फाऊंडेशन द्वारा मध्यप्रदेश के 12 जिलों में कराये गये अध्ययन से भी पता चला कि 95 प्रतिशत महिलायें राशन के बदले नकद हस्तांतरण विचार को खारिज करती हैं. वे मानती हैं कि नकद उनके हाथ में नहीं होगा. परिवार में नकद पर पुरुषों का नियंत्रण होगा और यह जरूरत पर खर्च नहीं होगा.

बाजार की कीमत पर राशन, स्वास्थ्य और शिक्षा हासिल कर पायेगा? अब तक सरकार से सीधे सेवाएं मिलती रही है. इससे भ्रष्टाचार कम है. जब नकद राशि दी जाने लगेगी तो फर्जीवाड़ा बढ़ेगा. आज भारत के 42 करोड़ अति-गरीब लोग जिंदा रह पा रहे हैं क्योंकि राशन व्यवस्था उनकी अनाज की 35 प्रतिशत जरूरत को पूरा कर देता है. दुखद यह है कि भारत में गरीबों की सही पहचान ही नहीं हुई और जो पहचाने गये उन 39 प्रतिशत गरीबों को राशन कार्ड नहीं

मिल पाया है. इसलिये उन्हें राशन भी नहीं मिल पाया है. शासन व्यवस्था को जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं किया जा सकता और इसका विकल्प यह माना जा रहा है कि व्यवस्था सुधारे मत, व्यवस्था से अपनी भूमिका हटा लो और लोगों को बाजार के भरोसे छोड़ दो. भारत में नकद हस्तांतरण का लाभ पात्रता शर्तों के आधार पर देने की व्यवस्था बनाने की कवायद हो रही है. राशन की राशि या स्वास्थ्य सेवा की राशि उन्हें ही दी जायेगी; जिन्हें सरकार गरीब मानती है. सरकार के मुताबिक गांव में गरीब परिवार वही हैं जो 15 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम खर्च करता है और शहर में 20 रुपये. यह लोक व्यापीकरण या खुली हुई व्यवस्था नहीं होगी, इसमें बहुत से बुनियादी संकट मौजूद हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

योजनाओं में सरकारी दखल को खत्म करने और नकद हस्तांतरण के विचार की हिमायत करने वाले नांदी फाऊंडेशन द्वारा मध्यप्रदेश के 12 जिलों में कराये गये अध्ययन से भी पता चला कि 95 प्रतिशत महिलाएं राशन के बदले नकद हस्तांतरण विचार को खारिज करती हैं. वे मानती हैं कि नकद उनके हाथ में नहीं होगा. परिवार में नकद पर पुरुषों का नियंत्रण होगा और यह जरूरत पर खर्च नहीं होगा. जरा ध्यान दीजिये कि जो नकद को प्राथमिकता दे रहे हैं उनमें से ज्यादातर पुरुष

हैं. लोग कहते हैं कि हमारे यहां तो सरकारी राशन की दुकान के अलावा कोई और दुकान ही नहीं है हम नकद लेकर जायेंगे कहां? अभी अनाज आता है तो परिवार में बराबर बंटता भी है, परन्तु नकद का बराबरी से उपयोग नहीं होगा.

वास्तव में भारत की यह पहल, दक्षिण अमेरिकी देशों में चल रहे नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों की सफलता से प्रभावित है. परन्तु हमारा योजना आयोग यह नहीं देखा पा रहा है कि उन देशों में सेवाओं की उपलब्धता है, अस्पताल हैं और तब लोगों को नकद दिया जाता है. ये वे देश हैं जहां 200 से 300 सालों पहले शहरीकरण हुआ है और 80 फीसदी आबादी शहरों में रहती है. लिंग आधारित भेदभाव कम है, दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार बहुत कम है. वहां उन परिवारों को आर्थिक मदद दिये जाने का प्रावधान है जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं और वहां यह कार्यक्रम इसलिये सफल रहा क्योंकि स्कूल बहुत सही ढंग से चलते हैं. वहां अस्पताल हैं, सेवाएं हैं तब वहां लोगों के हाथ में नकद राशि होने का मतलब निकला. जबकि भारत में बुनियादी सेवाओं के ढाँचे ही ध्वस्त हैं, ऐसे में यह एक घातक नीति साबित होगी.

हमें स्पष्ट करना होगा कि सेवा के बदले सशर्त नकद की सोच को क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए. भारत की 70 फीसदी आबादी अब भी गांवों में रहती है यहां बैंकिंग संस्थानों की उपलब्धता बहुत कम है. 1992 के बाद भारत में 26000 ग्रामीण बैंक बंद हुए और व्यावसायिक बैंक की जनकल्याणकारी व्यवस्था में कोई रुचि नहीं है, इसलिए लोगों की नकद तक पहुंच कठिन है. हमने देखा है कि जननी सुरक्षा योजना, पेंशन या योजना जैसे कार्यक्रमों में प्रोत्साहन के लिए नकद भुगतान होता है पर भ्रष्टाचार के कारण वहां भी लोगों को उनका हक नहीं मिलता है. मतलब यह है कि इससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा. हमें अंततः अपनी व्यवस्था को ही ठोस और जवाबदेह बनाना होगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने राशन, पोषण और सामाजिक सुरक्षा को हक के रूप में परिभाषित किया है. और मौलिक अधिकार को शर्तों या बीपीएल जैसी पात्रता के धारदार हथियार से काटा नहीं जा सकता है. यानी सशर्त नकद हस्तांतरण हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित करता है. जहां भी नकद हस्तांतरण सफल रहा है वहां सरकारी तंत्र सक्षम और प्रभावी रहा है. भारत में चूँकि सरकारी तंत्र कमजोर और लचर है, ऐसे में निजी क्षेत्र का एकधिकार बेहद खतरनाक साबित होगा.

वर्ष 2014 तक 60 करोड़ लोगों को आधार संख्या उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अक्टूबर को राजस्थान के डुडु में उदयपुर जिले के कुरवार की एक महिला वाली देवी को 21 करोड़वां कार्ड जारी किया.

